प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.11.2026

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल धारदार हथियार (दाव) बरामद।

दिनांक 07.11.2026 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त उमर उर्फ शाहवेज पुत्र इरफान द्वारा वादिया के पिता मो0 इरफान उम्र 58 वर्ष की सिर में धारदार हथियार (दाव) मारकर हत्या कर देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 07.11.2026 को ही थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उमर उर्फ शाहवेज पुत्र इरफान अहमद निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल धारदार हथियार (दाव) बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे पिता मो0 इरफान मुझे आये दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर मेरे साथ मारपीट करते थे व बहनों का पक्ष ज्यादा लेते थे जिससे तंग आकर मैंने मौका पाकर सोते हुये अपने पिता मो0 इरफान के सिर में दाव से वार कर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उमर उर्फ शाहवेज पुत्र इरफान अहमद निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 आलाकत्ल धारदार हथियार (दाव) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिररफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 11.10.2026 को थाना लिंक रोड पर वादिया श्रीमती माया बिष्ट द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंक रोड पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.11.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त अनिल उर्फ टैनी उर्फ शिब्बू पुत्र सत्यनारायण निवासी धारा

वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिंक रोड गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल करीब 01 माह पहले थाना लिंक रोड रामप्रस्थ कॉलोनी स्थित एक घर के बाहर से चोरी की थी। अबतक मैंने यह मोटरसाइकिल अलग-अलग जगहों पर छुपा रखी थी। आज मैं इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनिल उर्फ टैनी उर्फ शिब्बू पुत्र सत्यनारायण निवासी धारा वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिंक रोड गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम लक्ष्मीपुर मेघोना जिला खमरिया बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लिंक रोड पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद ।

आज दिनांक 08.11.2026 को थाना खोडा पर वादी श्री अंकित कुमार पुत्र श्री अमर कुमार निवासी खोड़ा गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 07.11.26 को शाम करीब 07 बजे ऐन्थनी पुत्र श्रीबीर सिंह बाल्मीक निवासी राजीव नगर सांई चौक खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद द्वारा जान से मारने की नीयत से चाकू से वार करना जिससे वादी के काफी गम्भीर चोटें आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा पर तत्काल सुसंगत धारा 352/109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ऐन्थनी पुत्र श्रीबीर सिंह बाल्मीक निवासी राजीव नगर सांई चौक खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि कल दिनांक 07/11/2026 समय करीब शाम 07.00 बजे की बात है। मैं सोम बाजार से वापस अपने घर आ रहा था तभी यादव चौक/सांई चौक के पास मेरी रास्ते में निकलने को लेकर अंकित कुमार से कहासुनी हो गयी थी। मैं पहले से ही गुस्से में था इसी बात पर मैंने गुस्से में आकर अंकित पर जान से मारने की नीयत से अपने साथ पहले से लिये चाकू से वार कर दिया था। मौके पर लोगों को आता देख मैं वहां से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ऐन्थनी पुत्र श्रीबीर सिंह बाल्मीक निवासी राजीव नगर सांई चौक खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उक्त प्ररकरण के सम्बन्ध में थाना खोडा पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर जोन द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 10 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 08.11.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर जोन द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त (1) मौ0 आकिल पुत्र इसरत अली निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना असमोली जिला संभल उम्र 25 वर्ष (2) मुजम्मिल पुत्र जरीफ निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना असमोली जिला संभल उम्र 19 वर्ष को मदरसे वाले कच्चे रास्ते शाहबेरी रोड थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 10 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा व गांजे की बिक्री में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट के 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम थाना असमोली जिला सम्भल के रहने वाले है तथा दिल्ली से सस्ते दामो पर गांजा लेकर आते है तथा उसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामो पर NCR क्षेत्र मे गांजा पीने वाले लोगो को गांजा बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) मौ0 आकिल पुत्र इसरत अली निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना असमोली जिला संभल उम्र 25 वर्ष।

(2) मुजम्मिल पुत्र जरीफ निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना असमोली जिला संभल उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

10 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा।

गांजे की बिक्री के लिए प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट के 01 मोटर साइकिल

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में NDPS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर जोन।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम नगर जोन द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर नाजायज बरामद।

दिनांक 07.11.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम नगर जोन द्वारा तलाश वांछित अभियुक्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/वस्तु व देखरेख शान्ति व्यवस्था चौकी क्षेत्र नया बस अड्डा हिण्डन मैट्रो फुट ओवर ब्रिज के पास से एक अभियुक्त अरमान पुत्र गुलहसन निवासी 61 गुलजार कालोनी थाना कोतवाली नगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर नाजायज बरामद किये गये। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त अरमान पुत्र गुलहसन उपरोक्त से अवैध पिस्टल रखने का कारण पूछा गया तो अभियुक्त ने बताया कि यह पिस्टल बस मैं अपने शोक के लिए रखता हूं। कहां से लाया किस व्यक्ति से लिया इस सम्बन्ध में अभियुक्त ने कुछ नहीं बताया।

नाम पता अभियुक्त-

अरमान पुत्र गुलहसन निवासी 61 गुलजार कालोनी थाना कोतवाली नगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरमान

अभियुक्त पर उपरोक्त प्रकरण में 01 अभियोग थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

स्वाट टीम नगर जोन